कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्याः 1106/अधिष्ठान/दो–29/2022–23 दिनांक : 28 अक्टूबर, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 तथा अधिनियम की धारा–27 के अधीन प्राप्त अनुमोदन के क्रम में परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 306 दिनांक 28.09.2022 के द्वारा निर्गत नीति/मानकों के आलोक में परिवहन आयुक्त/विभागाध्यक्ष स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर विचार कर संस्तुति देने हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की दिनांक 21/22 अक्टूबर, 2022 को बैठक सम्पन्न हुई।

2. उक्त समिति द्वारा परिवहन विभाग के अंतर्गत **'वरिष्ठ सहायक'** संवर्ग में तैनात कार्मिकों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये सेवा विवरणों/तथ्यों का संज्ञान लिया गया। वरिष्ठ सहायक संवर्ग में कुल कार्यरत 80 कार्मिकों के सापेक्ष अनुमोदित मानकों के अनुसार अधिकतम् 26 कार्मिकों का स्थानान्तरण किया जाना अनुमन्य है। वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों में से सुगम क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत 42 कार्मिक एवं दुर्गम क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत 27 कार्मिक, इस प्रकार कुल 69 कार्मिक अनुमोदित मानकानुसार स्थानान्तरण हेतु पात्र हैं; किन्तु चूंकि अधिकतम् 26 कार्मिकों का ही स्थानान्तरण अनुमन्य है, अतः सुगम एवं दुर्गम में तैनात पात्र कार्मिकों (क्रमशः 42 एवं 27) के मध्य अनुपात के आधार पर ही सुगम क्षेत्र से 16 एवं दुर्गम क्षेत्र से 10 कार्मिकों, इस प्रकार कुल 26 कार्मिकों का स्थानान्तरण किये जाने की संस्तुति समिति द्वारा की गई।

3. स्थानान्तरण हेतु पात्रता क्षेत्र में आने वाले कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी समस्त विवरण यथाप्रक्रिया सर्व संज्ञानार्थ विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित की गई थी और उसके सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए सेवा विवरणों को दिनांक 20.10.2022 को अंतिम करते हुए उन्हें सर्व संज्ञानार्थ विभागीय वेबसाईट पर पुनः प्रकाशित किया गया। इस प्रकार, अंतिम किये गये सेवा विवरणों का ही संज्ञान स्थानान्तरण समिति द्वारा लिया गया।

4. सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निर्मित पात्रता सूची के क्रमांक 7, 10, 11, 12, 13 एवं 17 पर अंकित कार्मिकों को चिकित्सा आधार अथवा संघ पदाधिकारी होने के कारण स्थानान्तरण से छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार, दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची के क्रमांक 1, 2, 4 एवं 13 पर अंकित कार्मिकों को भी दुर्गम में ही रहने के इच्छुक होने/संघ पदाधिकारी होने के आधार पर उन्हें स्थानान्तरण से छूट प्रदान की गई है। इन कार्मिकों को छोड़कर पात्रता सूची में अंकित अन्य कार्मिकों के सम्बन्ध में समिति द्वारा अधिनियम/नीति में उल्लिखित प्रक्रियानुसार उनके विकल्पों पर सम्यक विचार करने के उपरान्त स्थानान्तरण पर उनकी तैनाती के नवीन पद/कार्यालय के संदर्भ में संस्तुति दी गई है।

5. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरण समिति द्वारा दी गई संस्तुति के आधार पर परिवहन विभाग के अंतर्गत **'वरिष्ठ सहायक'** संवर्ग में तैनात निम्नवत् कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–6 में अंकित पद/कार्यालय के सापेक्ष किया जाता है :–

क. सुगम से दुर्गम :

क्र.सं.	कार्मिक का नाम (सर्वश्री)	पात्रता सूची में क्रमांक	नियत तिथि को सुगम क्षेत्र में कुल सेवा	वर्तमान तैनाती स्थल/ कार्यालय	स्थानान्तरण/ नवीन तैनाती का स्थल/ कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	राकेश गंगोला	1	15 वर्ष 04 माह 21 दिन	संभागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी।	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, रानीखेत।	प्रथम विकल्प का पद रिक्त न होने के कारण द्वितीय विकल्प आबंटित।
2.	राजकुमार साहनी	2	15 वर्ष 04 माह 20 दिन	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, ऊधमसिंहनगर।	संभागीय परिवहन कार्यालय, अल्मोड़ा।	प्रथम विकल्प आबंटित।

क्र.सं.	कार्मिक का नाम (सर्वश्री)	पात्रता सूची में क्रमांक	नियत तिथि को सुगम क्षेत्र में कुल सेवा	वर्तमान तैनाती स्थल/ कार्यालय	स्थानान्तरण/ नवीन तैनाती का स्थल/ कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
3.	अतुल नौटियाल	3	14 वर्ष 01 माह 19 दिन	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, विकासनगर।	संभागीय परिवहन कार्यालय, पौड़ी।	प्रस्तुत विकल्पों में से प्रथम विकल्प सुगम में होने तथा द्वितीय से पंचम विकल्प में पद रिक्त न होने के कारण छठवाँ विकल्प आबंटित।
4.	कपिल सिंह रावत	4	13 वर्ष 08 माह 13 दिन	संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून।	संभागीय परिवहन कार्यालय, पौड़ी।	प्रस्तुत विकल्पों के पद रिक्त न होने के कारण दुर्गम क्षेत्र में रिक्त पद के सापेक्ष।
5.	असलम अली	5	13 वर्ष 05 माह 15 दिन	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, विकासनगर।	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, कर्णप्रयाग।	प्रथम 2 विकल्प रिक्त न होने के कारण तृतीय विकल्प आबंटित।
6.	सूरज पाल	6	13 वर्ष 05 माह 15 दिन	कर संग्रह केन्द्र, भगवानपुर।	संभागीय परिवहन कार्यालय, पौड़ी।	प्रथम 2 विकल्प रिक्त न होने के कारण तृतीय विकल्प आबंटित।
7.	सुश्री सपना रानी	8	13 वर्ष 05 माह 12 दिन	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, हरिद्वार।	संभागीय परिवहन कार्यालय, पौड़ी।	दुर्गम क्षेत्र हेतु कोई विकल्प न दिए जाने के कारण दुर्गम क्षेत्र में रिक्त पद के सापेक्ष।
8.	हरीश चन्द्र	9	13 वर्ष 05 माह 01 दिन	संभागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी।	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, पिथौरागढ।	प्रथम विकल्प आबंटित।
9.	चारुचन्द्र	14	13 वर्ष 04 माह 30 दिन	संभागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी।	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर।	दुर्गम क्षेत्र हेतु कोई विकल्प न दिए जाने के कारण दुर्गम क्षेत्र में रिक्त पद के सापेक्ष।
10.	नरेन्द्र सिंह महिपाल	15	13 वर्ष 04 माह 30 दिन	दोराहा चेकपोस्ट।	संभागीय परिवहन कार्यालय, अल्मोड़ा।	प्रस्तुत विकल्पों में से प्रथम से छठवाँ तक विकल्प सुगम में होने के कारण सातवाँ विकल्प आबंटित।
11.	प्रकाश नाथ	16	13 वर्ष 04 माह 30 दिन	संभागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी।	संभागीय परिवहन कार्यालय, अल्मोड़ा।	प्रथम विकल्प आबंटित।
12.	जनवीर सिंह रावत	18	12 वर्ष 11 माह 13 दिन	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश।	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, उत्तरकाशी।	प्रथम विकल्प रिक्त न होने के कारण द्वितीय विकल्प आबंटित।
13.	चन्दन प्रकाश	19	12 वर्ष 10 माह 10 दिन	मझौला चेकपोस्ट।	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, रानीखेत।	प्रस्तुत विकल्पों के सुगम क्षेत्र में होने के कारण दुर्गम क्षेत्र में रिक्त पद के सापेक्ष।
14.	मो0 अकरम	20	12 वर्ष 10 माह 04 दिन	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, कोटद्वार।	संभागीय परिवहन कार्यालय, पौड़ी।	प्रथम विकल्प आबंटित।

क्र.सं.	कार्मिक का नाम (सर्वश्री)	पात्रता सूची में क्रमांक	नियत तिथि को सुगम क्षेत्र में कुल सेवा	वर्तमान तैनाती स्थल/ कार्यालय	स्थानान्तरण/ नवीन तैनाती का स्थल/ कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
15.	चन्दन सिंह मेहरा	21	12 वर्ष 04 माह 03 दिन	संभागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी।	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर।	दुर्गम क्षेत्र हेतु कोई विकल्प न दिए जाने के कारण दुर्गम क्षेत्र में रिक्त पद के सापेक्ष।
16.	सुरेन्द्र दत्त खण्डूरी	22	12 वर्ष 02 माह 05 दिन	संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून।	संभागीय परिवहन कार्यालय, टिहरी।	प्रथम विकल्प आबंटित।

ख. दुर्गम से सुगम :

क्र.सं.	कार्मिक का नाम (सर्वश्री)	पात्रता सूची में क्रमांक	नियत तिथि को दुर्गम क्षेत्र में कुल सेवा	वर्तमान तैनाती स्थल/ कार्यालय	स्थानान्तरण/ नवीन तैनाती का स्थल/ कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	सुश्री यशोदा बिष्ट	3	14 वर्ष 26 दिन	संभागीय परिवहन कार्यालय, पौड़ी।	संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून।	प्रथम विकल्प आबंटित।
2.	सुश्री रश्मि नेगी	5	13 वर्ष 07 माह 19 दिन	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, रूद्रप्रयाग।	संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून।	प्रथम विकल्प आबंटित।
3.	अनिल भारती	6	13 वर्ष 05 माह 16 दिन	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, टिहरी।	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, रूड़की।	प्रथम विकल्प आबंटित।
4.	विनोद कुमार	7	13 वर्ष 05 माह 15 दिन	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, उत्तरकाशी।	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, विकासनगर।	प्रथम विकल्प आबंटित।
5.	धनवीर धनौसी	8	12 वर्ष 11 माह 04 दिन	संभागीय परिवहन कार्यालय, पौड़ी।	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, विकासनगर।	प्रथम विकल्प रिक्त न होने के फलस्वरूप द्वितीय विकल्प आबंटित।
6.	आशीष भण्डारी	9	12 वर्ष 10 माह	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, रूद्रप्रयाग।	संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून।	प्रथम विकल्प आबंटित।
7.	सुश्री सरिता देवी	10	10 वर्ष 11 माह 28 दिन	संभागीय परिवहन कार्यालय, पौड़ी।	संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून।	प्रथम विकल्प आबंटित।
8.	भुवनेश गुसांई	11	10 वर्ष 05 माह 17 दिन	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, उत्तरकाशी।	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून।	प्रदत्त एकमात्र विकल्प रिक्त न होने के कारण सुगम क्षेत्र में रिक्त पद के सापेक्ष।

क्र.सं.	कार्मिक का नाम (सर्वश्री)	पात्रता सूची में क्रमांक	नियत तिथि को दुर्गम क्षेत्र में कुल सेवा	वर्तमान तैनाती स्थल/ कार्यालय	स्थानान्तरण/ नवीन तैनाती का स्थल/ कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
9.	विक्रम भण्डारी	12	09 वर्ष 10 माह 19 दिन (वर्तमान तैनाती स्थल पर)	संभागीय परिवहन कार्यालय, पौड़ी।	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, हरिद्वार।	प्रदत्त एकमात्र विकल्प रिक्त न होने के कारण सुगम क्षेत्र में रिक्त पद के सापेक्ष।
10.	राकेश नेगी	14	08 वर्ष 08 दिन (वर्तमान तैनाती स्थल पर)	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, कर्णप्रयाग।	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, कोटद्वार।	प्रथम विकल्प आबंटित।

6. उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपने नवीन तैनाती के स्थल/कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें।

(अरविन्द सिंह ह्यॉंकी)
परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या : (1)/समदिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

(अरविन्द सिंह ह्यॉंकी)
परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।